

प्रेषक

जिला नगर योजनाकार,  
रोहतक।

सेवा में,

The Manager,  
Andhra Bank, HUDA Complex,  
District Rohtak.

यादि कमांक 3673 दिनांक 24-6-10

विषय:-


**To Issue of NOC for Educational purpose - Maa Vaishno Devi Society.**

हवाला:-

आपके कार्यालय के पत्र कमांक शून्य दिनांक 26-5-2010 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय पर हवालाधीन पत्र के साथ प्राप्त कागजातों के अध्ययन उपरान्त सूचित है कि खेवट नं० 401, 340 व किला/खसरा न० 93//15/1,16/1,25 गाँव आसन, तहसील व जिला-रोहतक इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से बाहर पड़ते हैं यह सूचना निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. जब भी दल का स्थल नियन्त्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आएगा तो पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 41), एवं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 के अनुसार स्थल पर धाराएं लागू हो जाएगी तथा इस विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
2. यह सूचना स्थल पर लागू अन्य किसी विभाग के नियमों/अधिनियमों को प्रभावित नहीं करेगी।
3. स्थल से पहुँच मार्ग, पार्किंग, पानी की सुविधा, खेल के मैदान एवं भवन निर्माण से सम्बन्धित स्थिरता प्रमाण पत्र आप अपने स्तर पर जांच लें।
4. आवेदित स्थल रोहतक-सोनीपत अनुसूचित सड़क पर स्थित है अतः आवेदक को निर्देश दिये जाने उचित होंगे कि कमपीटेन्ट आथोरिटी की अनुमति के बिना वह न तो अनुसूचित सड़क के साथ लगती 30 मीटर चौड़ी वर्जित पट्टी में कोई निर्माण करेगा एवं न ही इस अनुसूचित सड़क से सीधी अप्रोच लेगा।

  
जिला नगर योजनाकार,  
रोहतक।